न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 65/2016

अनवान

1. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रार्थी

बनाम

1. शंकरलाल पुत्र भवंरलाल जाति महाजन निवासी भादरा।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212

राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति : राजपेरोकार : **प्रार्थी**

वकील श्री कपूरचंद शर्मा : **अप्रार्थी**

निर्णय **दिनांक :** 20.12.17

वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि चक 7 बीएचडी के मु0न0 41 किला नं0 4 तथा 7–14, 15, 16, 17 कुल 1.796 है0 भूमि पर अप्रार्थी द्वारा उक्त कृषि भूमि को बिना अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवायें ईंट भट्‌टा लगाकर उपयोग में लाया जा रहा है व कृषि जोत की शर्तो एवं नियमों की अवहेलना की जा रही है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। मूल वाद में अप्रार्थी की ओर से वकील हाजिर आ चुके है। कोई जबाव पेश नही करना चाहते है। अतः जबावदेही बंद की जाती है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वाद भूमि को अप्रार्थीगण ईंट भट्‌टा लगाकर उपयोग में लाया जा रहा है तथा भूमि को अकृषि कार्य के उपयोग में ली जा रही है।

वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार किया तथा निवेदन किया कि वाद भूमि मौके पर कृषि उपयोग में ली जा रही है। पशुओं की सुरक्षा के लिए दीवार निकाली गई है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से कृषि भूमि का स्वरूप

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

बदला जाकर खुर्द बुर्द की जा रही है। अप्रार्थी द्वारा वादभूमि में निरन्तर अकृषि कार्य करने से भूमि का स्वरूप व प्रयोजन में बदलाव हो जाएगा, जिससे अपूरणीय क्षति की सम्भावना है, जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है तथा सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी 212 आरटीए स्वीकार किया जाता है व विधि के अनुरूप वैधानिक कार्यवाही की स्वतन्त्रता प्रदान करते हुए अप्रार्थी को ताफैसला वाद इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वह मूल वाद के निर्णय तक वाद भूमि चक 7 बीएचडी के मु0न0 41 किला नं0 4 तथा 7–14, 15, 16, 17 कुल 1.796 है0 भूमि को रहन बैय व दिगर तरीके से मुन्तकिल नहीं करें। रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 20.12.17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्ड अधिकारी (R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़